भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1705

(जिसका उत्तर शुक्रवार, 27 जुलाई, 2018/5 श्रावण, 1940 (शक) को दिया जाना है)

यूएसए द्वारा इस्पात पर पाटन-रोधी शुल्क लगाया जाना

†**1705. कुँवर हरिवंश सिंहः**

श्री अशोक शंकरराव चव्हाणः

श्री सुधीर गुप्ताः

श्री गजानन कीर्तिकरः

श्री एस.आर. विजय कुमारः

श्री टी. राधाकृष्णनः

श्री एस. राजेन्द्रनः

श्री विद्युत वरण महतोः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या संयुक्त राज्य अमेरिका ने हाल ही में भारत से आयात होने वाले इस्पात और एल्युमिनियम पर भारी प्रशुल्क लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं तथा इस संबंध में भारतीय इस्पात उद्योग पर पड़ने वाले प्रभाव का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में संयुक्त राज्य अमेरिका के प्राधिकरण से कोई वार्ता की है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने भारतीय इस्पात पर पाटन-रोधी शुल्क वापस लेने के लिए दबाव डालने हेतु संयुक्त राज्य अमेरिका के विरुद्ध कोई जवाबी कार्रवाई भी शुरू की है; और

(ङ) भारतीय इस्पात उद्योग के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में वित्त राज्यमंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ल)

(क): जी हाँ।

(ख): संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनी दो अलग-अलग राष्ट्रपति-उद्घोषणाओं के तहत मार्च, 2018 में स्टील पर 25% और एल्यूमिनियम पर 10% का ग्लोबल टैरिफ लगाया था। यह टैरिफ 23.03.2018 से संयुक्त राज्य अमेरिका में होने वाले आयात पर लागू हो गया था जिसमें विशेष टैरिफ लाइन्स के अन्तर्गत भारत से होने वाला स्टील और एल्यूमिनियम का आयात भी शामिल है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने इसके लिए यह कारण बताया था कि इस

प्रकार के आयात से संयुक्त राज्य व्यापार विस्तार अधिनियम, 1962 की धारा 232 में यथा परिभाषित उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पैदा होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति-उद्घोषणाओं में उल्लेखित टैरिफ लाइन के अन्तर्गत भारत से होने वाले स्टील और एल्यूमिनियम के उत्पादों के निर्यातों पर क्रमशः 25% और 10% की दर से टैरिफ लगता है।

(ग): भारत सरकार संयुक्त राज्य अमेरिका के प्राधिकारियों के समक्ष यह बात उठाया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत से होने वाले आयात को धारा 232 के अन्तर्गत टैरिफ से छूट दी जानी चाहिए और संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रशासन के साथ लगातार यह बात चलायी जा रही है।

(घ): चूंकि संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर से कोई सकारात्मक उत्तर नहीं मिला है अतः भारत ने विश्व व्यापार संगठन के विवाद निपटान निकाय के समक्ष संयुक्त राज्य अमेरिका से विचार विमर्श किए जाने के लिए अनुरोध किया है। भारत ने भी प्रतिक्रिया स्वरूप टैरिफ लगाया है जोकि 4 अगस्त, 2018 से लागू हो जाएगा। इन सबके बावजूद इस समस्या के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए भारत संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ लगातार बात कर रहा है

(ङ): भारतीय इस्पात उद्योग के विकास को सुनिश्चित करने और इसको सुरक्षित रखने के लिए सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं :

(i) जून, 2015 से आधारभूत सीमा शुल्क की दर को इन्गॉट्स एंड बिल्लेट्स, एलाय स्टील (फ्लेट एंड लॉग), स्टेनलेस स्टील (लॉग) और नॉन एलाय प्रोडक्ट्स पर 5% से बढ़ाकर 7.5% और नॉन एलाय और अन्य एलाय फ्लेट प्रोडक्ट्स पर 7.5% से बढ़ाकर 10% कर दिया गया है। इस शुल्क को अगस्त, 2015 में फ्लेट स्टील पर 10% से बढ़ाकर 12.5%, लॉग स्टील पर 7.5% से बढ़ाकर 10% और सेमीफिनिस्ड स्टील पर 7.5% से बढ़ाकर 10% कर दिया गया है।

(ii) इसके अलावा निर्दिष्ट प्राधिकारी, डाइरेक्टोरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज की जांच और सिफारिशों के आधार पर विभिन्न स्टील उत्पादों पर समय-समय पर विशिष्ट दर से प्रतिपाटन शुल्क भी लगाया गया है।

*****